**संख्या-142/2021/ई-1939970/71-3-2021-एनएम-06/2019टीसी**

**प्रेषक,**

**कुलदीप कुमार रस्तोगी,**
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**प्रधानाचार्य,**
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
अयोध्या।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3** **लखनऊ : दिनॉक 16 दिसम्बर, 2021**

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या के मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पंचम किश्त के रूप में धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0अ0/बजट/2021/1740, दिनांक 29.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में "2210-05-105-03-0383-मेडिकल कालेज, अयोध्या" के 20-सहायता अनुदान-सामान्य गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 1200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

| क्र0सं0 | शासनादेश संख्या व दिनॉक | धनराशि (रू0 लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | संख्या-55/2021/562/71-3-2021-एनएम-06/2019टीसी, दिनॉक 06.04.2021-2021 | 300.00 |
| 2 | संख्या-62/2021/619/71-3-2021-एनएम-06/2019टीसी, दिनॉक 10-05-2021 | 300.00 |
| 3 | संख्या-85/2021/ई-1683197/71-3-2021-एनएम-06/2019टीसी, दिनांक 25.06.2021 | 300.00 |
| 4 | संख्या-104/2021/ई-1785166/71-3-2021-एनएम-06/2019टीसी दिनांक 27.08.2021 | 300.00 |
| | **योग-** | **1200.00** |

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में "2210-05-105-03-0383-मेडिकल कालेज, अयोध्या" के 20-सहायता अनुदान-सामान्य गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष पंचम किश्त के रूप में **रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से तत्काल आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
5. धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
6. यदि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।
7. 20-सहायता अनुदान-सामान्य गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष यदि किसी अन्य मद में वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी हो तो उक्त का उल्लेख करते हुए आगामी प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-552/दस-2021-22, दिनॉक 15 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

**भवदीय,**

**( कुलदीप कुमार रस्तोगी)**
संयुक्त सचिव।

**संख्या:-142/2021/ ई-1939970 (1)/71-3-2021, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अयोध्या।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9. गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**( कुलदीप कुमार रस्तोगी )**
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।